न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 248 /2023 तारीख रजू – 29-12-2023

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

केस आई0डी0 नम्बर 2023/603

उनवान

पुत्री राजेश वगै. जाति ब्राहमण निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

—सायलान 03

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली, राज0

—गैरसायलान—07

क्रं	फर्द अहकाम
2.2023	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को बेदखल नही करने , रहन व्यय नही करने , गड्डे नही खोदने, मजाहमत मदाखलत नही करने एवं शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने हेतु गैरसयालान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 753, 757, 758, 759, 760, 782, 783 वाकेग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में आगामी तिथि तक सायल के हिस्से तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 23.01.2024 को पेश हों। (सुरेश कुमार हरसोलिया) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

23/1/24 पत्रावली प्रस्तुत आज बार [illegible] प्रवेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक..... को पेश हो।
27-6-24

3/6/24 पत्रावली आज शिकायत तलबी के [illegible] पर पेश हुई सायलान व [illegible] वकील के अलावा [illegible] सायलान वकील [illegible] व सायलान वकील [illegible] के समक्ष [illegible] कथन दाखिल है। मु0 नं0 248/23 T-I उक्त बनाम तहसीलदार [illegible] किया परन्तु आराजी का [illegible] नम्बर के [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:11:47 IST
Reason: SelfAttested